तपेदिक, सिलिकोसिस, फेफडे का कैंसर, दात और मसूडो की बीमारिया, फ्लरोसिस, यकृत और गुरदे की बीमारियां, आंख/त्वचा मे जलन, सुनने की समस्याएं, स्नायु तत्र प्रणाली की समस्याएं आदि ।

केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियत्रण बोर्डों और अन्य विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा इस सबध मे लोगो को शिक्षित करने के लिए समय-समय पर जन-जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं ।

सामाजिक वानिकी के लिए धनराशि

821. डा. अबरार अहमद : क्या पर्यावरण और वन मत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत 7 वर्षो के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा सामाजिक वनिक ण के लिये किन-किन राज्यो को कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गयी है तथा, राज्यवार भूमि के कितने क्षेत्र मे वनरोपण का कार्य किया गया है ;

(ख) विगत 7 वर्षों के दौरान राजस्थान मे सामाजिक वानिकी पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वा । कितनी कितनी धनराशि खर्च की गयी है तथा सवाई माधोपुर मे इसी कार्य पर कितनी धन राशि खर्च की गयी है और भूमि के कितने क्षेत्र पर वनरोपण का कार्य किया गया है; और

(ग) क्या राजस्थान तथा सवाई माधोपुर जिले में सामाजिक वानिकी के कार्य पर खर्च किये गये धन के लेखे की लेखापरीक्षा करवायी गई है तथा उस वन का वस्तुगत सत्यापन किया गया है, यदि हा, तो लेखापरीक्षा मे क्या-क्या त्रुटिया पायी गयी तथा इसका ब्यौरा क्या है और उन त्रुटियो के लिये कौन जिम्मेदार हैं।

पर्यावरण और वन मत्रालय की राज्य मत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीक ण/वृक्षारोपण कार्यकलापो पर खर्च की गयी राज्यवार धनराशि जिसमे 7वी पचवर्षीय योजना अवधि, (1985-86--1989-90) के लिये केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी धनराशि भी शामिल है, तथा वर्ष 1990-91 के दौरान किया गया आवटन सलग्न विवरण मे दिये गये है। वर्ष 1991-92 के लिये आवटनो को अभी निर्धारित किया जाना है। 7वी पचवर्षीय योजना अवधि की उपलब्धिया तथा वर्ष 1990-91 के लक्ष्य सलग्न विवरण II मे दिये गये है (नीचे देखिए) । आवटनो की अतिम रूप दिये जाने के पश्चात् ही वर्ष 1991-92 के लिये लक्ष्यो को निर्धारित किया जायेगा।

(क) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

विवरण-I

20 सूत्री कार्यक्रम के अर्न्तगत 1985-86 से वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के लिये धनराशि का राज्यवार उपयोग

(लाख रुपए)

क्रम स.	राज्य/सं. शा. प्रदेश	7 वीं पंचवर्षीय योजना	1990-91*
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	14324.63	2167.16
2.	अरुणाचल प्रदेश	1879.41	518.13
3.	असम	8031.08	1848.77

1	2	3	4
4.	बिहार	21222.01	3621.88
5.	गोवा	580.38	127.62
6.	गुजरात	16131 35	3508.00
7	हरियाणा	8345.19	2389.85
8.	हिमाचल प्रदेश	9066.47	2136.86
9	जम्मू और कश्मीर	3643.40	1299.60
10.	कर्नाटक	13158.62	2464.67
11.	केरल	7738.37	1542.84
12.	मध्य प्रदेश	18930.48	4363.07
13.	महाराष्ट्र	17301.80	4059.77
14.	मणिपुर	1529.68	465.52
15.	मेघालय	2844.11	577.57
16.	मिजोरम	2615.21	496.71
17.	नागालैंड	1963.99	444.41
18	उड़ीसा	8597.34	3617.55
19.	पंजाब	4656.49	574.85
20.	राजस्थान	14733.67	4023.02
21.	सिक्किम	1055.04	271.36
22.	तमिलनाडु	14237.44	2979.98
23.	त्रिपुरा	2162.89	502.44
24.	उत्तर प्रदेश	30817.49	6680.87
25.	पश्चिम बंगाल	11047.26	2409.15
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	757.55	293.16
27.	चण्डीगढ़	109.15	163.92
28.	दादर एवं नागर हवेली	412.13	110.11
29.	दमन एवं द्वीव	553.22	18.75
30.	दिल्ली	112.51	176.36
31.	लक्ष्यद्वीप	35.57	3.03
32.	पाण्डिचेरी	209.23	38.62
	*केवल आवटन	238803.16	653895.60**

**इसमें रा. प. भू. वि. बोर्ड को दिये गए बजट मे 4192 लाख रुपए की धनराशि शामिल है जिसे विशिष्ट परियोजनाओं के अधीन राज्यो से प्राप्त प्रायोजना प्रस्तावों की वित्तीय व्यवस्था तथा बोर्ड की स्थापना तथा कार्यालय व्ययों को पूरा करने के लिए निर्धारित किया जाता है ।

विवरण–II

विगत सात वर्षों के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया राज्यवार वर्षवार क्षेत्र

(पौध लाखों में)
(क्षेत्र हैक्टयर में)

क्र सं	राज्य/संशा० प्रदेश	सातवीं/पंचवर्षीय योजना उपलब्धियां	1990-91 लक्ष्य	
			पौध	क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	725779.50	2400.00	34200.00
2	अरूणाचल प्रदेश	31276.50	25.00	4750.00
3.	असम	103857.00	77.00	12900.00
4.	बिहार	666970.50	2150.00	41200.00
5.	गोवा	16229.00	90.00	675.00
6.	गुजरात	740605.50	2165.00	30600.00
7.	हरियाणा	159346.50	1020.00	9050.00
8.	हिमाचल प्रदेश	164760.50	400.00	15500.00
9.	जम्मू व कश्मीर	105340.50	225.00	8200.00
10.	कर्नाटक	666984.50	1800.00	42700.00
11.	केरल	310827.50	320.00	11000.00
12.	मध्य प्रदेश	992115.00	2650.00	61650.00
13.	महाराष्ट्र	858193.00	2750.00	62450.00
14.	मणिपुर	44162.50	125.00	4250.00
15.	मेघालय	57067.00	175.00	4350.00
16.	मिजोरम	102777.50	160.00	4600.00
17.	नागालैंड	82675.00	60.00	3850.00
18.	उड़ीसा	552234.50	1525.00	39750.00
19.	पंजाब	132301.00	300.00	9150.00
20.	राजस्थान	284945.00	425.00	22500.00
21.	सिक्किम	30045.50	60.00	2500.00
22.	तमिलनाडु	429243.50	975.00	36800.00
23.	त्रिपुरा	63356.50	120.00	5550.00
24.	उत्तर प्रदेश	1189689.00	4200.00	51150.00

1	2	3	4	5
			पौध	क्षेत्र
25.	पश्चिम बंगाल . .	303404.00	650.00	275.00
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	26585.50	70.00	1675 00
27	चण्डीगढ . .	727.50	1.70	30.00
28.	दादर एव नागर हवेली .	8349.50	20.00	420.00
29.	दमन और दीव . .	202.00	1.25	40.00
30.	दिल्ली . .	7913.15	50.75	825.00
31	लक्ष्यद्वीप . .	296.50	1.30	35.00
32	पुडिचेरी . .	2777 00	8 00	150 00
		8862837.65	25000 00	550000.00

जयपुर में टेलीफोन कनेक्शनों का खराब रहना

822 डा॰ अरार अहमद : क्या संचार मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि विगत छ. महीनो से जयपुर मे आधे से भी अधिक कनेक्शन खराब पडे हुए है, यदि नही, तो क्या सरकार इनका पता लगाने का प्रयास करेगी तथा इस सबंध मे दोषी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियो को सजा देगी ,

(ख) नवम्बर, 1990 के अन्त तक, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर में सामान्य तथा ओ॰वाई॰टी॰ श्रेणियों के टेलीफोन कनेक्शनो के लिये कुल कितने व्यक्ति पजीकृत है और उन्हे कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जाने की सभावना है ; और

(ग) राजस्थान तथा इसके विभिन्न बडे नगरो मे टेलीफोन सलाहकार समितिया का गठन कब से नही किया गया है और इसके क्या कारण है और अब इनका कब तक गठन कर लिये जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री और संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी, नही। जयपुर मे टेलीफोन की खराबिया नियत्रण मे है ।

(ख) टेलीफोन कनेक्शन के लिये पंजीकृत व्यक्तियो की कुल सख्या इस प्रकार है .—

स्थान	ओ॰वाई॰टी॰	पजीकृत गैर ओवाईटी में	कुल
जयपुर जिला . . .	2427	40007	42434
जोधपुर . . .	477	9947	10424
कोटा . . .	547	5276	5823
उदयपुर . . .	761	8077	8838
अजमेर . . .	280	3200	3480